Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Act, 2017

Act 27 of 2017

Keywords:
Agriculture, Tourism, Market Yard

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1179) पटना, बुधवार, 13 दिसम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

13 दिसम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-27/2017-212/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार ,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 27, 2017]

बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अधिनियम, 2017

श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी के भूमि अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना।– चूँकि, सिखों के दसवें गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती समारोह और राज्य के लिए विशेष गौरवशाली ऐतिहासिक अवसर पर उनकी ज्वलंत जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान का निर्माण करना आवश्यक एवं समीचीन है; और,

चूँकि, बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि विभाग की कतिपय भूमि को चिन्हित किया गया है जिसे पर्यटन विभाग को अंतरित करना भी आवश्यक है;

इसलिए अब भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**।– (1) यह अधिनियम बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार श्री गुरू गोविन्द सिंह बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान हेतु भूमि अंतरण तक ही सीमित होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 **परिभाषाएँ**।–इस अधिनियम में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो–

(i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अधिनियम, 2017;

(ii) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची;

(iii) **''सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(iv) **''कृषि विभाग''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग;

(v) **''पर्यटन विभाग''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार का पर्यटन विभाग;

(vi) **''बाजार प्रांगण''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य कृषि विभाग के अधीन बाजार प्रांगण।

3 **बाजार प्रांगण की भूमि का अंतरण**।– राज्य सरकार बिहार कृषि उपज बाजार प्रांगण, पटना सिटी की भूमि, जो बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 द्वारा राज्य सरकार में निहित हो चुकी है और जो इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित है, श्री गुरू गोविन्द सिंह की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को स्थायी रूप से अंतरित कर सकेगी।

4 **निरसन एवं व्यावृत्ति**।– (1) बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017 (बिहार अध्यादेश संख्या–2, 2017) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या कि गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

अनुसूची

पर्यटन विभाग को राज्य सरकार द्वारा अंतरित की जाने वाली बाजार प्रांगण, कृषि विभाग की भूमि का विवरण:–

मौजा–शिमली मुरारपुर, थाना संख्या–38, में अवस्थित बाजार समिति पटना सिटी के अर्जित भू–खण्ड में 10 (दस) एकड़ भू–खण्ड।

प्रस्तावित जमीन कि विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	खाता सं0	खेसरा सं0	खतियानी रकवा	प्रस्तावित रकवा
01	471	1396	0.30 डी0	0.28.88 डी0
		1449	0.17 डी0	0.15.75 डी0
02	612	1390	0.72 डी0	0.71.25 डी0
		1391	0.14 डी0	0.13.77 डी0
		1393	0.03 डी0	0.02.75 डी0
		1394	0.20 डी0	0.18.25 डी0
03	614	1392	0.10 डी0	0.11.24 डी0
		1395	0.21 डी0	0.22.44 डी0

क्रमांक	खाता सं0	खेसरा सं0	खतियानी रकवा	प्रस्तावित रकवा
04	718	1397	0.33 डी0	0.33.44 डी0
		1398	0.26 डी0	0.24.52 डी0
		1399	0.24 डी0	0.24.00 डी0
		1400	0.24 डी0	0.19.51 डी0
		1453	0.64 डी0	0.60.43 डी0
		1454	0.29 डी0	0.28.40 डी0
05	769	1456	0.15 डी0	0.10.15 डी0
06	773	1457	0.02 डी0	0.02.00 डी0
		1455	1.49 डी0	1.14.15 डी0
07	829	1451	0.22 डी0	0.27.54 डी0
08	833	1444	0.22 डी0	0.15.37 डी0
09	840	1450	2.06 डी0	2.02.50 डी0
10	842	1443	0.14 डी0	0.14.72 डी0
11	843	1448	0.34 डी0	0.31.33 डी0
12	844	1447	0.57 डी0	0.59.70 डी0
13	967	1401	0.67 डी0	0.56.59 डी0
14	524	1452	0.71 डी0	0.63.59 डी0
15	841	1442	0.13 डी0	0.06.77 डी0
16	853	1446	0.27 डी0	0.19.85 डी0
17	838	1445	0.5 डी0	0.01.00 डी0
			कुल–11.36एकड़	**10.00.02 एकड़**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

13 दिसम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-27/2017-213/लेज––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर 2017 को अनुमत बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 27, 2017]

BIHAR AGRICULTURE MARKET YARD LAND TRANSFER ACT, 2017

AN

ACT

TO PROVIDE FOR THE TRANSFER OF LAND OF THE AGRICULTURE MARKET YARD, PATNA CITY LAND FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTION OF MULTIPURPOSE PRAKASH KENDRA AND GARDEN BASED ON THE LIFE OF SHREE GURU GOBIND SINGH JEE MAHARAJ

Preamble.—Whereas, it is necessary and expedient to construct the multipurpose Prakash Kendra and Garden on the occasion of 350th jubilee of the tenth Sikh Guru Shree Guru Govind Singh Jee Maharaj based on his enlightened life and glorious historical event for the state, and;

Whereas, the certain land of Agriculture Department has been earmarked for the construction of multipurpose Prakash Kendra and garden, the transfer of which to the Tourism Department is also necessary,

Now, therefore, be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.***— (1) This Act may be called the Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Act, 2017.

(2) It shall extent to the land transfer for Shree Guru Govind Singh Multipurpose Prakash Kendra and Garden.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Definations.*** *In this Act unless there is anything repugnant to the subject or context-*

(i) **"Act"** means The Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Act, 2017;

(ii) **"Schedule"** means schedule annexed to this Act;

(iii) **"Government"** means the State Government of Bihar;

(iv) **"Agriculture Department"** means the Agriculture Department of the Government of Bihar;

(v) **"Tourism Department"** means the Tourism Department of the Government of Bihar;

(vi) **"Market Yard"** means Market Yard under Agriculture Department of the State of Bihar.

3. ***Transfer of Market Yard Land.—*** The State Government may permanently transfer such land of Bihar Agriculture Produce Market Yard, Patna City which have been vested in the State Government by the Bihar Agricultural Produce (Repeal) Act, 2006 and which is mentioned in the schedule annexed to this Act to the Tourism Department for the construction of multipurpose Prakash Kendra and Garden based on the life of Shree Guru Govind Singh.

4. ***Repeal and Savings.—***(1) The Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Ordinance, 2017 (Bihar Ordinance No.-2, 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was come into force on the day on which such thing was done or action taken.

SCHEDULE

Statement of Land of Market Yard of, Agriculture Department to be transfer to the Tourism Department by the State Government:-

10 (Ten) acrs plot of land acquired for Market Yard, Patna City located in Mauja-Shimli Murarpur, Thana Number-38.

Proposed land details are as follows-

Sl No	Khata No.	Khesra No.	Khatihani area	Proposed Area
01	471	1396 1449	0.30 D 0.17 D	0.28.88 D 0.15.75 D
02	612	1390 1391 1393 1394	0.72 D 0.14 D 0.03 D 0.20 D	0.71.25 D 0.13.77 D 0.02.75 D 0.18.25 D
03	614	1392 1395	0.10 D 0.21 D	0.11.24 D 0.22.44 D
04	718	1397 1398 1399 1400 1453 1454	0.33 D 0.26 D 0.24 D 0.24 D 0.64 D 0.29 D	0.33.44 D 0.24.52 D 0.24.00 D 0.19.51 D 0.60.43 D 0.28.40 D
05	769	1456	0.15 D	0.10.15 D
06	773	1457 1455	0.02 D 1.49 D	0.02.00 D 1.14.15 D
07	829	1451	0.22 D	0.27.54 D
08	833	1444	0.22 D	0.15.37 D
09	840	1450	2.06 D	2.02.50 D
10	842	1443	0.14 D	0.14.72 D
11	843	1448	0.34 D	0.31.33 D
12	844	1447	0.57 D	0.59.70 D
13	967	1401	0.67 D	0.56.59 D
14	524	1452	0.71 D	0.63.59 D
15	841	1442	0.13 D	0.06.77 D
16	853	1446	0.27 D	0.19.85 D
17	838	1445	0.5 D	0.01.00 D
			Total –11.36 Acre	**10.00.02 Acre**

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1179-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in